

भाग—II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना / स्कीम का रखान	जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 लखनऊ-सीतापुर मार्ग के किमी 0 482.00 से 488.75 तक दोनों तरफ साइकिल ट्रैक के निर्माण में प्रभावित 4.8 है। संरक्षित वन भूमि के गेर वानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष पातन का प्रस्ताव
(i) राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्तरप्रदेश
(ii) ज़िला	लखनऊ
(iii) वन प्रभाग	अवध वन प्रभाग, लखनऊ
(iv) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	4.8 है।
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(vi) प्रजातियाँ वैज्ञानिक नाम और परिपेक्षा ऐणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए) (सिंचाई/जलीय प्रयोजनाओं के सम्बन्ध में एफआरएल-4 मी) भी संलग्न की जाए।	—
(vii) वनस्पति का घनत्व	0.1
(viii) भू-क्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षण नहीं है, प्रमाण पत्र संलग्न है।
(ix) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्तर की वन सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।
(x) क्या कार्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयाचरण, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हथी कोरिडोर आदि का भाग है? (यदि हो तो, क्षेत्र का व्यौरा वृक्ष नुस्खा वन्यजीव वार्डन की टिप्पणिया संलग्न करें।)	नहीं है।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/सकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्त्व सम्बन्धित व्यौरा दें?	नहीं है।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वी पारस्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान/ कोई और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्त्वसम्बन्धित व्यौरा सक्षम प्राविकारी का ज्ञापनित प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता प्रयोजनाएँ के लिए अपिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाएं गये विकल्प के व्यौरों के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।	हो न्यूनतम है।
9. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हो/नहीं) यदि हाँ, तो किए गये कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित व्यौरा दें, उल्लंघन करते हुए कार्य क्या आभी चल रहे हैं।	नहीं है।
10. क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के व्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा बनेतर क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	वन भूमि से मिला है। दो भूखण्ड हैं। उमरिया वन ब्लाक 5.50 हेक्टेयर इन्दारा वन ब्लाक 4.10 हेक्टेयर है।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित बनेतर क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता है।	मानचित्र संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, सम्बुद्धी लागत दाचा आदि।	जामुन, पाकड़, कंजी, शीशम, प्रासपिस आदि
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियोग (मात्र उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एनपी0वी0)	1. प्रभावित 4.8 हेक्टेयर के दुराने 9.60 हेक्टेयर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु. 238153.00 प्रति हेक्टेयर की दर से रु. 2286259.00 2. प्रभावित 4.80 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि की एनपी0वी0 रु. 626000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से रु. 3004800.00 का व्यय आयेगा। कुल धनराशि रु. 5291069.00 (रु. बावन लाख इक्यान्नावे हजार उनहत्तर मात्र)
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रवन्धकीय दृष्टिकोण के सम्बन्ध प्राविकारी से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दस्तावरित किया जाए)	संलग्न है।

11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। रिपोर्ट विवेचित उपर्युक्त कालम 7 (एप्पे गपफद्द 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	संलग्न है।
12. प्रभाग / जिला प्रोफाइल :	अवध वन प्रभाग, लखनऊ / लखनऊ
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	252800 हेए
(ii) जिले का वन क्षेत्र	10327.12 आरक्षित वन, 259.80 सरक्षित वन
(iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का बनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	73 गामले 185.44 हेए
(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूर्क वनीकरण पर	
(क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनमृगी	185.54 हेए
(ख) बनेतर भूमि	5.27 हेए
(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
(क) वनमृगी	114.42 हेए व 9762 ब्रिकगार्ड व आयरन ट्रीगार्ड
(ख) बनेतर भूमि	5.27 हेए
13. कारणों सहित प्रस्ताव की स्तीकृत या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- २५/६/२०१६

स्थान:- लखनऊ।

श्रीमान् वनाधिकारी
वनाधिकारी
लखनऊ

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

श्रीमान् वन प्रभाग
(अद्वा यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग
अवध वन प्रभाग, लखनऊ